भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 22/2024–25
दिनांकः 1 अगस्त, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए कांडला और विशाखापत्तनम समुद्री पत्तनों को शामिल करने के संबंध में।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की अवधि के दौरान मालदीव गणराज्य के लिए निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए (2) अतिरिक्त पत्तनों को शामिल करने हेतु अधिसूचना संख्या 06/2023 दिनांक 15.04.2024 को संशोधित करती है :–

i. कांडला समुद्री (आइएनआइएक्सवाइ1)
ii. विशाखापत्तनम समुद्री (आइएनवीटीजेड1)

इस अधिसूचना का प्रभावः

कांडला और विशाखापत्तनम सीमा शुल्क समुद्री पत्तनों को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात हेतु अनुमति प्रदान किए गए पत्तनों की सूची में जोड़ा गया है जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मालदीव गणराज्य के लिए, निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत हैं। यह पहले की अधिसूचना संख्या 06/2023 दिनांक 15 अप्रैल 2024 में सूचीबद्ध (4) पत्तनों के अतिरिक्त है।

संतोष कुमार सारंगी
1.8.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/59/एएम20/ईसी/ई–20816 से जारी)